ADM/GC/DLRC

जिलाधिकारी
हरिद्वार
06-04-2018

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः 185 /XVIII(3)/2018-02(72)/2017
देहरादूनः दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–3 की धारा 4(7) के प्राविधानों के अनुसार निहित वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से मुक्त रुप में प्रदत्त करते हुये जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिये 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है, जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 के 239 कि0मी0 (सिरसामोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरुप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जनपद हरिद्वार के ग्राम दूधला दयालवाला, परगना नजीबाबाद में खसरा संख्यक 370 क्षेत्रफल 24.042 हैक्टेअर बंजर भूमि का जनहित में विकास कार्यों के लिये पुनर्ग्रहण कर वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि क्षतिपूर्ति एवं प्रतिकर की समस्त धनराशि का भुगतान याचक विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा किया जायेगा।

हरबंस सिंह चुघ
प्रभारी सचिव।

संख्याः 185 /XVIII(3)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन0एच0ए0आई0–5 एवं 6, सेक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली–110075
2– आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार 46/1, कैनाल रोड़, जाखन, देहरादून–248001
5– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
6– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार।
7– वरिष्ठ निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No....185..... dated 05-04-2018 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG-3
No. 185 /XVIII(3)/2018-02(72)/2017
DEHRADUN: DATED: 05 April, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 117(6) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and according to provision section 4(7) of Chapter 3 of The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, Conferring vested forest rights free of all encumbrances and procedural requirements, including clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), requirement of paying the 'net present value' and 'compensatory afforestation' for diversion of forest land, except those specified in the Act, the Governor is pleased to declare that the 24.042 Hectare of Khasra no 370 waste land transfer in favour of Forest Department for public purpose development works in village Doodhla Dyalwala, pargana Najibabad in Distt Haridwar against compensatory afforestation for motor road construction of 239 km (sirsamodi camp road to shaktifarm of national highway 74 in Distt. U.S. Nagar.

2. The Governor is further directed that the said amount of compensation shall be paid by requiring body (National Highway Authority).

(Harbans Singh Chugh)
Secretary In-charge

Scanned by CamScanner